कार्यालय,आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन–भोपाल, 462004

क्रमांक / 271 / 833 / आउशि / शाखा–8 / 09 भोपाल, दिनांक 16 / 03 / 2009

प्रति,

प्राचार्य,
नीचे दर्शित शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– प्रतिभा किरणयोजना की नवीन /नवीनीकरण छात्राओं हेतु बजट आवंटन वर्ष 2008–2009

संदर्भः–शासन का पत्र क्रमांक एफ–19–1 / 08 / 2–अड़तीस दिनांक 05.01.2008

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में प्रतिभा किरण योजना 2008–09 के अंतर्गत निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित राशि का अतिरिक्त बजट आवंटन एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता हैः–

| क्र0 | शा0 महावि0 का नाम | स्थान | जिला | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | शा0 स्नातको0 महाविद्यालय | छिन्दवाड़ा | छिन्दवाड़ा | 1,14,000=00 |
| 2. | शा0 के0पी0 महाविद्यालय | देवास | देवास | 54,000=00 |
| 3. | शा0 महाविद्यालय | हाटपिपल्या | देवास | 6,000=00 |
| 4. | शा0 कन्या महाविद्यालय | खण्डवा | खण्डवा | 24,000=00 |
| 5. | शा0 स्नातको0 महाविद्यालय | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | 99,000=00 |
| 6. | शा0 स्नातको0 महाविद्यालय | दमोह | दमोह | 9,000=00 |
| | योग | | | 3,06,000=00 |

उपरोक्त राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2008–09 में बजट शीर्ष **44– 2202 –03– 103– 5476–0101–41–002** (प्रतिभा किरण योजना) के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

यह जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी कि कोई भी पात्र छात्रा इस योजना के लाभ से वंचित न हो । निम्नलिखित तथ्यों, का प्रमाण–पत्रों के आधार पर परीक्षण एवं सत्यापन करने के उपरांत ही छात्रवृत्ति का वितरण किया जाए–

1. शासन के संदर्भित पत्र में दर्शाए गये नियम मापदण्डो का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करे।
2. छात्रा ने जिस वर्ष 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो व निरन्तरता के साथ प्रथम वर्ष में प्रवेशित हो इसका परीक्षण एवं सत्यापन महाविद्यालय स्तर से किया जाए।
3. छात्रा नें उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु प्रथम वर्ष में महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लिया हो एवं अध्ययनरत् हो।
4. पूर्व वर्ष 2007–08 में चयनित छात्रा ने सफलतापूर्वक उर्तीण होकर निरन्तरता के साथ द्वितीय वर्ष की कक्षा में प्रवेश लिया हो।

5. यदि छात्रा संदर्भित पत्रानुसार पात्र पाई गई है तो उसके लिए बजट आवंटन अध्ययनरत् छात्रा के महाविद्यालय के जिले में स्थित संबंधित अग्रणी महाविद्यालय को भेजा जा रहा है। यह अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य का दायित्व होगा कि संबधित अशासकीय महाविद्यालय के बारे में यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उसे वर्तमान में अनुदान प्राप्त है अथवा नहीं।

6. अन्य महाविद्यालयं की चयनित छात्रा को बजट प्रदाय करने की कार्यवाही व पावती अग्रणी महाविद्यालय स्तर से प्रमाण–पत्रों का परीक्षण कर की जाएगी। **किसी भी स्थिति में संबंधित संस्था को बजट स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।**

7. पात्र छात्राओं को राशि वितरित करने से पूर्व घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाए। (घोषणा पत्र का प्रारूप संलग्न है।)

8. किसी भी स्थिति में प्राप्त बजट में से परम्परागत शिक्षा हेतु प्रति छात्रा छात्रवृत्ति राशि रू. 300.00 (रू0 तीन सौ) प्रतिमाह की दर से शैक्षणिक सत्र हेतु 10 माह के लिए रू. 3000.00 (रू. तीन हजार) से अधिक नहीं होगी व तकनीकी/चिकित्सा शिक्षा हेतु प्रति छात्रा छात्रवृत्ति राशि रू. 750.00 (रू0 सात सौ पचास) प्रतिमाह की दर से शैक्षणिक सत्र हेतु 10 माह के लिए रू. 7500.00 (रू. सात हजार, पांच सौ ) से अधिक नहीं होगी । प्राचार्य सुनिश्चित करें कि पात्र छात्रा छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने से वंचित न रहें।

9. कोषालय से आवश्यक राशि ही आहरित करे। राशि वितरित करने के उपरान्त विभाग द्वारा आंवटित शेष राशि बीसीओ कोड–3802 में **28 मार्च, 2009** के पूर्व कोषालय में समर्पित करे व आई डी क्रमांक व दिनांक ई–मेल (compcellhedu@mp.gov.in) के माध्यम से अवगत कराये। किसी भी परिस्थिति में योजना की राशि अन्य मद में जमा न करे, यदि किसी कारणवश अतिरिक्त राशि आहरित कर ली जाती है तो चालान के माध्यम से विभागीय कोड के अंतर्गत शासकीय कोष में वित्तीय वर्ष 2008–2009 में ही जमा करें ।

10. पात्र छात्रा को वितरित राशि व विगत कक्षा के प्राप्तांक का लेखा महाविद्यालय के लेखापाल व प्रतिभा किरण योजना के प्रभारी द्वारा किया जाकर प्राचार्य से प्रमाणिक अभिलेखों व उपलब्ध कराई गई साफ्टवेयर में अद्यतन कर दिनांक **28.मार्च, 2009** तक अनिवार्य रूप से अग्रणी महाविद्यालय द्वारा संकलित कर ई–मेल पर प्रेषित करें । महाविद्यालय पृथक–पृथक से जानकारी का प्रेषण न करें ।

11. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकार क्षेत्रांतर्गत आने वाले सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को संदर्भित पत्रानुसार पात्र छात्राओं को समय से योजना का लाभ प्राप्त हो जाए।

12. **प्रतिभा किरण योजनान्तर्गत पात्र नवीन छात्राओं की संपूर्ण सूची विभाग की वेब साइट http://www.mp.nic.in/highereducationmp पर उपलब्ध है।**

13. जारी किया गया बजट दिनांक **16-03-2009** को आयुक्त कोष–लेखा के सेन्ट्रल सर्वर पर लोड करा दिया गया है।

संयुक्त संचालक (यो.)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0 क्रमांक/272/833/आउशि/योजना/शा.8/09 भोपाल, दिनांक 16/03/2009

प्रतिलिपि--

1 निज सहायक माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म प्र शासन, भोपाल म प्र।
2. निज सहायक प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, म प्र शासन, भोपाल म प्र।
3 संयुक्त संचालक (बजट), उच्च शिक्षा, म.प्र. – की ओर सूचनार्थ।
4 समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र.
5. संबंधित कोषालय अधिकारी म.प्र.।

संयुक्त संचालक (यो.)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश